राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक ज.स.प्र./विज्ञा. नीति/24/433 दिनांकः 29/1/2014

विज्ञापन नीति–2014

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारूप :–**

(i) इस नीति का नाम "राजस्थान आवासन मण्डल विज्ञापन नीति–2014' होगा।

(ii) यह नीति जारी करने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **सजावटी विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया :–**

(i) आवेदन सीधे ही आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल को प्रेषित करना होगा।

(ii) सजावटी विज्ञापन अध्यक्ष/आवासन आयुक्त के निर्देशानुसार ही राष्ट्रीय/राज्य स्तर के समाचार पत्र/पत्रिकाओं/स्मारिकाओं व अन्य में जारी किये जायेंगे। सजावटी विज्ञापन राजस्थान संवाद के माध्यम से ही प्रकाशित करवाये जायेंगे।

(iii) सजावटी विज्ञापन एक वर्ष में एक बार ही दिया जा सकेगा, चाहे वह नियमित प्रसारित होने वाले समाचार पत्र (प्रातःकालीन/सांयकालीन) का विशेषांक हो या स्थापना दिवस विशेषांक। (किसी भी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र)

राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तरीय दै. समाचार पत्र	–	2 लाख रू तक
संभाग व जिला स्तर दैनिक समाचार पत्र	–	25 हजार रू तक
साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक व अन्य समाचार पत्र	–	15 हजार रू तक

किसी भी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका/स्मारिका

पत्रिका

मासिक, द्वि–मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक, वार्षिक	–	25 हजार रू तक
स्मारिका	–	25 हजार रू तक

नोट :– **उपरोक्त के अलावा विशेष परिस्थितियों में स्पष्ट कारण दर्शित करते हुए आवासन आयुक्त की पूर्व स्वीकृति पश्चात् विज्ञापन की राशि बढ़ाई जा सकती हैं।**

3. **निविदा व नीलामी के विज्ञापन प्रकाशन की प्रक्रिया :–**

निविदा एवं नीलामी के विज्ञापन का प्रकाशन **"राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम, 2013"** के अनुसार किया जायेगा। **(परिशिष्ट 'अ')** राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जिन्हें **राष्ट्रीय, राज्य व जिला** स्तर के **दैनिक** समाचार पत्र माना गया है, इनको मण्डल द्वारा क्रमशः 'अ', **'ब' एवं 'स'** समूह में सूचीबद्ध किया गया है। मण्डल द्वारा चयनित **'अ' समूह** में राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी के समाचार पत्र कुल तीन से अधिक नहीं होंगे, राज्य स्तर के **समूह 'ब'** में कुल चार से अधिक नहीं होंगे एवं बाकी राज्य व क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र, जो डी.पी.आर. द्वारा स्वीकृत है, को वर्णमाला क्रम (Alphabeticaly Order) में **'स' समूह** की श्रेणी में रखा जावेगा। उपरोक्त **'स' समूह के** समाचार पत्रों को डी. पी. आर. द्वारा स्वीकृत दर पर ही विज्ञापन दिये जावेंगे। इन समाचार पत्रों में से ही विज्ञापन रोस्टर एवं रोटेशन से निर्धारित साईज में जारी किये जावेगें। **(परिशिष्ट 'ब')**

(i) विज्ञापन जहॉ तक संभव हो, व्यवहारिक हो एवं "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम, 2013" के तहत निर्धारित समय सीमा में प्रकाशित हो। लेकिन ऐसे विज्ञापन जिनमें बोर्ड का हित निहित हो, उनमें कारणदर्शित करते हुए आवासन आयुक्त की स्वीकृति से समय सीमा में छूट प्रदान की जा सकेगी।

(ii) सम्पूर्ण निविदा/नीलामी सूचनाएँ व अन्य सभी विज्ञापन मण्डल की वेबसाईट पर तत्काल डाले जायेंगे।

(iii) विज्ञप्तित कार्य की महत्ता को देखते हुए विज्ञापन का पुनः प्रकाशन करवाया जाना आवश्यक हो तो आवासन आयुक्त की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

(iv) समाचार पत्रों को जारी किए जाने वाली निविदा सूचना की साईज 8x4=32 SQCM व नीलामी की साईज 12x8=96 SQCM से अधिक नहीं होगी। आवश्यकतानुसार विज्ञापन की साईज आवासन आयुक्त की स्वीकृति पश्चात बढाई जा सकेगी। **समाचार पत्रों को निविदा व नीलामी के विज्ञापन दिये जाने के लिए दोनों का मिश्रित रोस्टर बनाया जाएगा जिसमें जैसे-जैसे निविदा/नीलामी प्राप्त होगी, तदानुसार ही दी जायेगी।**

4 (i) <u>आवश्यक सूचना :-</u> (लॉटरी संबंधी)
जिस शहर के आवेदकों की आवास व फ्लैट्स के आरक्षण/आवंटन लॉटरी निकाली जानी है उसका प्रकाशन एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के संबंधित स्थानीय संस्करण में करवाया जावेगा एवं विज्ञापन की साइज 12x8=96 SQCM से अधिक नहीं होगी।

(ii) <u>अन्तिम सूचना :-</u>
नियमितिकरण की सूचनाएँ जिन-जिन शहरों की हैं, उनका प्रकाशन एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के संबंधित स्थानीय संस्करण में करवाया जावेगा। विज्ञापन की साइज 12x8=96 SQCM से अधिक नहीं होगी।

(iii) <u>खुली बिक्री :-</u>
खुली बिक्री जिन-जिन शहरों की है, उसका प्रकाशन एक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करणों में करवाया जावेगा। इसके अतिरिक्त एक स्थानीय समाचार पत्र (डी.पी.आर. दर पर) में भी प्रकाशन करवाया जावेगा। आवश्यकतानुसार अधिक सम्पत्ति की खुली बिक्री का कार्यक्रम आवासन आयुक्त के अनुमोदन से समाचार पत्रों के संयुक्त संस्करणों में करवाया जा सकेगा। विज्ञापन की साइज 12x8=96 SQCM से अधिक नहीं होगी।

समाचार पत्रों के 'अ' समूह को छोडकर शेष समाचार पत्रों को लॉटरी, अन्तिम सूचना एवं खुली बिक्री के विज्ञापन देने के लिए अलग से रोस्टर रांधारित किया जाएगा।

5 **<u>दूरदर्शन/आकाशवाणी/एफ.एम.रेडियों/बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन पर लगे एल.ई.डी/होर्डिंग्स एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन :-</u>**

दूरदर्शन/आकाशवाणी/एफ.एम. रेडियों के कार्यक्रमों में व रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टेंड पर लगे एल.ई.डी/होर्डिंग्स एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन आवासन आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त ही जारी किये जायेंगे।

6 **विज्ञापन एजेन्सियों को विज्ञापन देने की प्रक्रिया एवं नियुक्ति हेतु मापदण्ड :–**

मण्डल द्वारा समाचार पत्रों को जारी किये जाने वाले विज्ञापन, विज्ञापन एजेन्सियों को रोस्टर प्रणाली से जारी किये जायेंगे। यदि किसी विज्ञापन एजेन्सी की सेवाएँ सन्तोषप्रद नहीं रहती है तो उस एजेन्सी को रोस्टर प्रणाली से हटा दिया जाएगा। "मण्डल" के कार्य हेतु विज्ञापन एजेंसी की नियुक्ति निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जायेगी एवं नियुक्त की जाने वाली विज्ञापन एजेन्सियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी।

7 **प्रस्ताव हेतु पत्रावली का प्रस्तुतीकरण एवं रिकार्ड का संधारणः–**

समस्त तर्कसंगत प्रस्ताव जनसम्पर्क अधिकारी के मार्फत विज्ञापन संबंधी पत्रावली पर उनके द्वारा प्रस्तुत किये जावेंगे तथा इसका समस्त रिकार्ड जनसम्पर्क प्रकोष्ठ में जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा संधारित किया जावेगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात, प्रकाशित अखबार की एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी को भिजवाई जावेगी।

8 **विज्ञापन नीति – 2014 को सख्ती से लागू करने का उत्तरदायित्व व जवाबदेही जनसम्पर्क अधिकारी की होगी।**

9 इससे पूर्व में जारी समस्त विज्ञापन संबंधी आदेश/नीति/नियम के अतिक्रमण में यह विज्ञापन नीति – 2014 जारी की जाती हैं।

10 परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' विज्ञापन नीति 2014 का अंग शुमार माना जावेंगा, जिसके अनुसार ही विज्ञापन जारी किये जायेगें, एवं उसी अनुसार उनके भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/ आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, रा0आ0म0, जयपुर।
3. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, रा0आ0म0, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।
5. निजी सहायक समस्त अतिरिक्त, मुख्य अभियंता, रा0आ0म0, जयपुर।
6. तकनीकी सहायक, अध्यक्ष/ आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर।
7. निजी सहायक, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0, जयपुर।
8. निजी सहायक, निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
9. लेखाधिकारी भुगतान, रा0आ0म0, जयपुर।
10. सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), रा0आ0म0, जयपुर।
11. समस्त उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर।
12. समस्त आवासीय अभियंता, रा0आ0म0, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)

THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012

THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT RULES, 2013

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013

alongwith

महत्वपूर्ण आदेश/परिपत्र

Man Singh Gupta
Advocate

KISHORE BOOK DEPOT
Opposite Government Press, Jaipur-302 001 Ph. 2362578

Table

Time for submission of bids and modes of publicity for procurement of Goods and Services

S. No.	Estimated Value of procurement	Period for submission of bid from the date of first publication of Notice Inviting Bid	Mode of publication
1	2	3	4
1.	Up to rupees five lakh	Ten days	(i) Notice Board of the procuring entity and all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One Regional daily newspaper.
2.	Above rupees five lakh and upto Rs fifty lakh	Fifteen days	(i) Notice Board of the procuring entity and all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One Regional daily newspaper. (iii) One leading daily State Level newspaper having circulation of fifty thousand copies and above.
3.	Above rupees	Thirty days	(i) Notice Board of the

सारणी

माल और सेवाओं के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय और प्रचार की रीतियां

क्रम सं	उपापन का प्राक्कलित मूल्य	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि	प्रचार की रीति
1	2	3	4
1.	पांच लाख रुपये तक	दस दिन	(i) उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।
2.	पांच लाख रुपये से अधिक और पचास लाख रुपये तक	पन्द्रह दिन	(i) उपापन संस्था और यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र। (iii) पचास हजार प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र।
3.	पचास लाख	तीस दिन	(i) उपापन संस्था और

1	2	3	4
	fifty lakh		procuring entity and of all subordinate Regional and Divisional Head Quarters, as the case may be. (ii) One State level leading daily newspaper having circulation of fifty thousand copies and above. (iii) One all India level English daily newspaper with wide circulation.

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may, with the approval of the State Government relax the above mentioned period of publication of notice inviting bid and submission of bid.

(7) Time for submission of bids for execution of works in response to publication of Notice Inviting Bids in newspapers and notice boards shall be as under:-

Table

Time for submission of bids and modes of publicity for procurement of works

S. No.	Estimated Value of work to be procured	Period for submission of bid from the date of first publication of Notice Inviting Bid	Mode of Publication
1	2	3	4
1.	Up to rupees one lakh	Seven days	Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices.
2.	Above rupees	Fifteen days	(i) Notice Board of the

1	2	3	4
	रुपये से अधिक		यथास्थिति, समस्त अधीनस्थ क्षेत्रीय और खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) पचास हजार प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाला एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र। (iii) वृहत् परिचालन वाले एक अखिल भारतीय स्तर का अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था राज्य सरकार के अनुमोदन से, बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन और बोली को प्रस्तुत करने की ऊपर उल्लिखित कालावधि को शिथिल कर सकेगी।

(7) समाचार पत्रों और नोटिस बोर्डों में बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में संकर्मों के निष्पादन हेतु बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय निम्नानुसार होगा:–

सारणी

संकर्मों के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय और प्रचार की रीतियां

क्र.सं.	उपाप्त किये जाने वाले संकर्म का प्राक्कलित मूल्य	बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि	प्रचार की रीति
1	2	3	4
1.	एक लाख रुपये तक	सात दिन	उपापन संस्था और इसके अधीनस्थ कार्यालय के नोटिस बोर्ड।
2.	एक लाख	पन्द्रह दिन	(i) उपापन संस्था और इसके

7

	one lakh and upto rupees ten lakh		procuring entity and its subordinate offices. (ii) One leading Regional daily Newspaper.
3.	Above rupees ten lakh and upto rupees one crore	Twenty one days	(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices. (ii) One leading Regional daily newspaper, one state level leading daily newspaper having circulation of 50,000 copies or more.
4.	Above rupees one crore	Thirty days	(i) Notice Board of the procuring entity and its subordinate offices. (ii) One leading Regional daily newspaper, one State level leading daily newspapers having circulation of 50,000 copies or more. (iii) One all India level daily English newspaper with wide circulation.

Provided that, in appropriate cases, the procuring entity may, with the approval of the State Government relax the above mentioned period of publication of notice inviting bid and submission of bid.

(8) In case of International Competitive Bidding in which the bid

	रुपये से अधिक और दस लाख रुपये तक		अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।
3.	दस लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक	इक्कीस दिन	(i) उपापन संस्था और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, पचास हजार प्रतियां या इससे अधिक के परिचालन वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र।
4.	एक करोड़ रुपये से अधिक	तीस दिन	(i) उपापन संस्था और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड। (ii) एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, पचास हजार प्रतियां या इससे अधिक के परिचालन वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र। (iii) वृहत् परिचालन वाला एक अखिल भारतीय स्तर का अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र।

परन्तु समुचित मामलों में, उपापन संस्था राज्य सरकार के अनुमोदन से, बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन और बोली को प्रस्तुत करने की ऊपर उल्लिखित कालावधि को शिथिल कर सकेगी।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में, जिसमें बोली का नोटिस

परिशिष्ट–'ब'

S.No	राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्र 'अ' समूह	S.No	राज्य स्तरीय समाचार पत्र 'ब' समूह
1.	दै. टाइम्स ऑफ इंडिया	1.	दै. राजस्थान पत्रिका
2.	दै. हिन्दुस्तान टाईम्स	2.	दै. भास्कर
3.	दै. हिन्दु	3.	दै. राष्ट्रदूत
		4.	दै. नवज्योति

'स' समूह

डी.पी.आर. द्वारा स्वीकृत अन्य समाचार पत्र

S.No.	समाचार पत्र का नाम	S.No.	समाचार पत्र का नाम
1	Adhikar	30	Lokmat
2	Ambar	31	Mahanagar Times
3	Arun Prabha (Alwar)	32	Mahka Bharat
4	Badhta Rajasthan	33	Morning News
5	Badhte Kadam	34	NavSurya
6	Business Bhaskar	35	Naya India
7	Current Jwala	36	News Jyoti
8	D.N.A.	37	News Today
9	Daily News	38	Nirala Rajasthan
10	Dainik Bhor	39	Pankshi Ka Sandesh
11	Desh Ki Darpan (Kota)	40	Prakash Kunj
12	Desh Ki Dharti (Kota)	41	Prath Kaal (Jodhpur)
13	Desh Ki Udan (Alwar)	42	Pratinidhi (Jodhpur)
14	Disha Dhwaj (Baran)	43	Punjab Kesari
15	Evening Plus	44	Raj Vaibhav
16	Evening Post	45	Rajasthan Pradeep (Bikaner)
17	Great Rajasthan (Udaipur)	46	Rajasthan Statement
18	Gulabi Hulchul	47	Rajputana Times
19	Hindu (Ajmer)	48	Riwaj Rajasthan Ki
20	Hukmnama	49	Samachar Jagat
21	Jagruk Times	50	Sandhya Jyoti Darpan
22	Jai Rajasthan (Udaipur)	51	Seema Sandesh
23	Jalte Deep	52	Teesra Prahar (Jodhpur)
24	Jan-Gan (Jodhpur)	53	Tej (Hanumangarh)
25	Jannayak	54	Tej Kesari (Hanumangarh)
26	Kamyab Kalam	55	Udaipur Express (Udaipur)
27	Khabar Samrat (Udaipur)	56	Udhyog Ass-Pass
28	Khoj Khabar (Jodhpur)	57	Young Leader
29	Lok Jeevan	58	Yug Paksh (Bikaner)

नोट :– परिशिष्ट 'स' समूह के समाचार पत्रों को डी. पी. आर. दर पर ही विज्ञापन जावेंगे।